

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु०-1

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

विषय: "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.1.4 "प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या 5.1.4 "प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन" में निम्नवत् व्यवस्था की गई है:-

5.1.4 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

- राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू०प्रौ० जनित सेवा कम्पनियों द्वारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी माडल (CMM) स्तर 2 एवं उच्चतर, सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000, सी.ओ.पी.सी (COPC), ई.एस.सी.एम (eSCM) प्रमाणन में से अधिकतम 3 सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रू 25,00,000/-, अनुमन्य होगी। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इसी प्रकार के प्रमाणन को समय-समय पर अनुमन्यता के लिए सम्मिलित किया जायेगा।

3- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में प्रदत्त उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू०प्रौ० जनित सेवा कम्पनियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

3.1 राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू०प्रौ० जनित सेवा कम्पनियों को कैपेबिलिटी मैच्योरिटी माडल (CMM) स्तर 2 एवं उच्चतर, सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000, सी.ओ.पी.सी (COPC), ई.एस.सी.एम (eSCM) प्रमाणन में सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसी प्रकार के अन्य प्रमाणन को समय-समय पर नोडल एजेन्सी के स्तर से सम्मिलित किया/हटाया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3.2 पात्र कम्पनी को अधिकतम 3 अलग-अलग सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी।
- 3.3 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि की अधिकतम सीमा प्रति कम्पनी रू 25,00,000/- होगी।
- 4- उपरोक्त हेतु पात्र कम्पनियों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

1 अनुदान हेतु कम्पनियों की पात्रता

- (i) राज्य में परिचालनरत ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियां जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।
- (ii) इस योजना का लाभ उन्हीं कम्पनियों को अनुमन्य होगा जिन्होंने भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रोत्साहन या अनुदान का लाभ न लिया हो।

2 आच्छादन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3 परिभाषायें एतद्वारा संलग्न, अनुलग्नक-स के अनुसार

4 कम्पनियों को प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया

- 4.1 प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति हेतु कम्पनी द्वारा अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर अपना आवेदन कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षण कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा एवं प्रोत्साहन धनराशि की स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।
- 4.2 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा अपने आवेदन-पत्र के साथ, प्रमाणीकरण हेतु किये गये शुल्क भुगतान की सत्यापित रसीद, प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1) संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- 4.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त कम्पनी को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि वास्तविक आधार पर, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई रू 25.00 लाख होगी, अवमुक्त की जायेगी।

5 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6 प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड
कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही कम्पनी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

4- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5- आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-807/78-1-2015-25/2012टीसी-8 दिनांक 02 अगस्त 2016 को एतद्वारा अवक्रमित किया जाता है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2018114(1)/78-1-2018 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
- 4 अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
- 6 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 7 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।
- 9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
- 10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
अनु सचिव।